

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1940382022071

ग्राम क्रमांक : 194038 ग्राम का नाम / परगना : रुलेनपुरउर्फकुदावाटपुर(धरियाकोट) तहसील : सदर जनपद : आजमगढ़ फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।

दशरथ / कैलाश / जि. राम

1416/क

262

1.6960

श्री दशरथ शिक्षा प्रचारणी सेवा समिति / पी० सुल्तानीपुर तह० सदर
आजमगढ़ द्वारा संख्या / वि० श्री दशरथ
उ/भा/वि/सलेमपुरउर्फ खोदादापुर सुल्तानीपुर तह० सदर आजमगढ़
दशरथ ज्वाहारसूक्त / सलेमपुर उर्फ खोदादापुर / सुल्तानीपुर
आजमगढ़
दशरथ हरि प्र० मठ सं० / सलेमपुर उर्फ खोदादापुर / सुल्तानीपुर
आजमगढ़
माता धीराजी महाविद्यालय / सलेमपुर सुल्तानीपुर / आजमगढ़
माता धिराजी देवी शिक्षण प्रशि० संस्थान / सलेमपुर सुल्तानीपुर /
आजमगढ़

1419/क आदेशानुसार न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर
आजमगढ़ वाद सं० अन्तर्गत धारा 145 उ/प्र० जा०
सं० वि० 23.9.11 पर० भू० व्यवस्था अधि० क्र० 23.9.11
प्रत्यक्ष गावा धिराजी देवी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
बनार दशरथ राम सलेमपुर उर्फ खोदादापुर पर०
धिराकाोट तह० सदर जिला आजमगढ़ आदेश हुआ कि
आदेश: तहसीलदार सदर द्वारा प्रस्तुत आख्या
दि० 22.9.11 के साथ पठित राजस्व निर्देशक की आख्या
दि० 26.7.11 एवं उ/प्र० जा० वि० एवं भूमि व्यवस्था
अधि० की धारा 143 से सम्बन्धित नियमावली के
नियम 135 पर प्रस्तुत आख्या आसोक में निम्न
दिनांक 23.4.2010 के आसोक में निम्न मीजा सलेमपुर
उर्फ खोदादापुर परमला आदेश: धिराकाोट तह० सदर
जिला आजमगढ़ कि आ० सं० 262 रकबा 0.255 हे० को
अकृषिक व्यवसायिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया
जाता है। राजस्व 20.10.11

1420/क आदेशानुसार न्याय उपजिलाधिकारी सदर
आजमगढ़ वाद सं० 35 अन्तर्गत धारा 143 उ/प्र० जा०
वि० एवं भू० व्यव० अधि० माता धिराजी महाविद्यालय
सलेमपुर सुल्तानीपुर एवं श्री कैलाश वाद बनार
उ/प्र० सरकार मीजा सलेमपुर उर्फ खोदादापुर पर०
धिराकाोट तह० सदर आजमगढ़ आदेश हुआ कि
तहसीलदार सदर की आख्या दि० 15.1.13 से सन्तुष्ट
होकर मीजा सलेमपुर उर्फ खोदादापुर की निम्नोक्त
भू० उ/प्र० जा० वि० एवं भू० व्यव० अधि० 1950 की धारा
143(1) सहपठित नियम 135(1) के अन्तर्गत अकृषिक
घोषित किया जाता है वर्तमान में निम्नोक्त भूमि कृषि
उद्यानीकरण बागवाती पशुपालन मत्स्य संवर्धन एवं
कुक्कुट पालन भी है के उपयोग में नहीं आ रही है नाम
राम - सलेमपुर उर्फ खोदादापुर तह० सदर आजम
गढ़ नाम भूमिधर नय वसिदयत - प्रार्थी श्री कैलाश वाद
मुलायम सिंह शिक्षा सेवा समिति राम रसूलपुर तह०
मु/भा/वि जिला मऊ प्र० माता धिराजी महाविद्यालय
सलेमपुर सुल्तानीपुर ने राम सलेमपुर उर्फ खोदादापुर
र० धिराकाोट तह० सदर आजमगढ़ गाटा सं० /क्षे-
खाता सं० 00054 के गाटा सं० 262 रकबा 1.012 भू०
राजस्व -19.05 र० का० 28.1.13

1

1.6960

₹ 16.00

2

0